उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) अधिनियम, 1987[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1987]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 29 जुलाई, 1987 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 29 जुलाई, 1987 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों (अधिकारियों से भिन्न) के नियुक्ति प्राधिकारियों की नियुक्ति करने की व्यवस्था करने और कतिपय कार्यो को विधिमान्य करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) यह 19 जून, 1981 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

नियुक्ति प्राधिकारी

2–उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों (अधिकारियों से मित्र) का नियुक्ति प्राधिकारी उक्त निगम का निदेशक बोर्ड या नियुक्ति करने के लिये उक्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी होगा और उसके अन्तर्गत सदैव सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन जैसा वह सड़क परिवहन निगम (संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा संशोधन किये जाने के पूर्व था, उक्त निगम द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी समझा जायेगा।

कतिपय कार्यो का वैधीकरण

3–किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1981 के किसी उपबन्ध के होते हुए भी, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा 19 जून, 1981 को या उसके पश्चात् दिये गये किसी आदेश, कृत, कार्य या कार्यवाही या प्रयुक्त अधिकारिता को केवल इस आधार पर कि ऐसे प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी नहीं थे, अविधिमान्य या शून्य नहीं समझा जायगा या कभी भी अविधिमान्य या शून्य हुआ नहीं समझा जायगा।

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ0 प्र0 अध्यादेश सं0 9, 1987

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत्, कार्य या कार्यवाही समझी जायगीं मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें ।

उद्देश्य और कारण

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा पारित संकल्पों के अधीन निगम के कतिपय अधिकारियों को निगम के अधिकारियों से भिन्न अन्य कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान विनियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके निगम ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियो मे भिन्न) सेवा विनिमावली, 1981 बनायी थी जो 19 जून, 1981 को प्रवृत्त हुई। उक्त विनियमावली में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था थी कि नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी होगा, यद्यपि सड़क परिवहन निगम (संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा ही जो 13 नवम्बर, 1982 से प्रवृत्त हुआ था, निगम के कार्यकलाप और कार्य का सामान्य अधीक्षण, निदेश और प्रबन्ध निदेशक बोर्ड में निहित किया गया था उक्त विनियमावली के प्रारम्भ होने और 1982 के उपर्युक्त संशोधन अधिनियम द्वारा 1950 के उक्त अधिनियम मे किये गये संशोधनो के बावजूद, 19 जून, 1981 के पूर्व निगम के अधिकारियों से भिन्न अन्य कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों ने नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए कतिपय आदेश पारित किये, जिनमें से अधिकांश आदेशों के सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओ के माध्यम से आपत्ति की गई थी। उच्च न्यायालय ने इन आदेशों को इस आधार पर अभिखण्डित किया कि ऐसे प्राधिकृत अधिकारी उस समय नियुक्ति प्राधिकारी नहीं थे जब उन्होने आक्षेपित आदेश पारित किये थे।

उक्त निगम को चलाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक है कि सड़क परिवहन सेवा को जो राज्य सरकार की सेवा है, चलाने के लिये सेवा कार्मिकों का नियोजित किया जाय। ऐसी सेवा अब उक्त निगम के जो राज्य सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है, अभिकरण के माध्यम से की जा रही है। राज्य विधान मण्डल ऐसी सेवा के सेवा कार्मिकों की सेवा के सृजन और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करने के लिये सक्षम है। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि दिनांक 19 जून, 1981 मे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों से भिन्न अन्य कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उपर्युक्त कार्यों को विधिमान्य करने की व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नही था और इस विषय में तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, इसलिये राज्यपाल द्वारा 17 मई, 1987 को उत्तर प्रदेश राज्य् सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) अध्यादेश 1987 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1987) प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

———